पटना में दिनांक–03 सितम्बर, 2019 मंगलवार को अपराह्न 4:00 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

1. पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत बेतिया के मौजा–म्युनिसिप्लिटी, बेतिया, थाना सं०–128, खाता सं०–शून्य, खेसरा सं०–8294/1, कुल रकबा–5 एकड़ 16.5 डिसमिल (पाँच एकड़ साढ़े सोलह डिसमिल) भूमि किस्म गैरमजरूआ मालिक "रमना" दो हजार व्यक्तियों की क्षमता वाले गाँधी स्मृति नगर भवन के निर्माण हेतु कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय भूमि हस्तान्तरण के संबंध में। — 1. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

2. समाज कल्याण विभाग अंतर्गत विभिन्न वर्ग समूहों के लाभुकों यथा शिशु, बालक, बालिका, वृद्धजन, दिव्यांगजन, महिला, अति निर्धन तथा भिक्षुक के आवासन एवं पुनर्वास हेतु विभिन्न गृहों के समुचित संचालन हेतु आवश्यक आवर्ती व्यय का मानक दर (यथा परिशिष्ट–1) संशोधित करने तथा इसके आलोक में कुल 948.20 लाख रू० (नौ करोड़ अड़तालीस लाख बीस हजार रू० मात्र) के अतिरिक्त व्यय (यथा परिशिष्ट–2) जो कि संबंधित लाभुक श्रेणी के लिए उपलब्ध बजट शीर्ष के तहत होगा और आवश्यकतानुसार केन्द्रांश की पर्याप्त राशि उपलब्ध न होने पर राज्यांश/राज्य योजना से वहन किया जा सकेगा, की स्वीकृति के संबंध में। — 2. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

3. स्टेट सोसाइटी फॉर अल्ट्रा पुअर एंड सोशल वेलफेयर (सक्षम) के अंतर्गत World Bank परियोजना के लिए सृजित पदों को प्रत्यार्पित करते हुए नियमित आधार पर जिला/अनुमंडल स्तर के कुल 1465 तकनीकी पदों यथा –सेन्टर मैनेजर(63), उच्चवर्गीय लिपिक(63), केस मैनेजर (101),सीनियर फिजियोथेरापिस्ट (101), ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट (101), फिजियोथेरापिस्ट (139), मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर(101), ऑडियोलोजिस्ट – सह स्पीच लैंग्वेज पैथोलोजिस्ट(101), परामर्शी/क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट (101), टेकनिसियन (औप्थेमलोजिस्ट)(139), टेकनिसियन (स्पीच एंड हियरिंग)(139), टेकनिसियन (प्रोस्थेटिक एंड ओर्थोटिक)(101), पारामेडिक (केन्द्र एवं वैन)(38), केयरगिवर(101), कुक–सह–हेल्पर(38), ड्राईवर (मोबाईल थैरेपी वैन)(38) के पदों की स्वीकृति के संबंध में। — 3. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

4.	केन्द्र प्रायोजित National Programme for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cordiovascular Diseases & Stroke (NPCDCS) योजनान्तर्गत इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना में स्टेट कैंसर इन्स्टीच्यूट की स्थापना हेतु केन्द्रांश की विमुक्ति की प्रत्याशा में, केन्द्रांश मद में रू० 38.94 करोड़ (रूपये अड़तीस करोड़ चौरानवे लाख) मात्र एवं राज्यांश मद में रू० 38.35 करोड़ (रूपये अड़तीस करोड़ पैंतीस लाख) मात्र अर्थात कुल रू० 77.29 करोड़ (रूपये सतहत्तर करोड़ उन्तीस लाख) मात्र के अनुदान की विमुक्ति की स्वीकृति।	4.	स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

5.	आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत निदेशक, देशी चिकित्सा एवं निदेशक, देशी चिकित्सा के सचिव का पद प्रत्यार्पण करने के संबंध में।	5.	स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

6.	"बिहार मलेरिया निरीक्षक संवर्ग नियमावली, 2015" एवं बिहार मलेरिया निरीक्षक संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2017 को निरसित करते हुए "वेक्टर रोग नियंत्रण पदाधिकारी संवर्ग नियमावली, 2019" की स्वीकृति।	6.	स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

7.	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत राज्य के सभी 36 सदर अस्पतालों में Speech Pathologist-cum-Audiologist एवं Audiographer के एक–एक पद अर्थात् कुल 36x2=72 (बहत्तर) पदों के सृजन की स्वीकृति।	7.	स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

8.	स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत बिहार प्रयोगशाला प्रावैधिक संवर्ग के मूलकोटि एवं प्रोन्नति के पदों पर नियुक्ति एवं उनकी सेवा शर्त्तों के निर्धारण हेतु बिहार प्रयोगशाला प्रावैधिक संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2019 के गठन की स्वीकृति के संबंध में।	8.	स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

9.	स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत बिहार शल्य कक्ष सहायक संवर्ग के मूलकोटि एवं प्रोन्नति के पदों पर नियुक्ति एवं उनकी सेवा शर्त्तों के निर्धारण हेतु बिहार शल्य कक्ष सहायक संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2019 के गठन की स्वीकृति के संबंध में।	9.	स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

10. स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत बिहार ई०सी०जी० टेक्नीशियन संवर्ग के मूलकोटि एवं प्रोन्नति के पदों पर नियुक्ति एवं उनकी सेवा शर्त्तों के निर्धारण हेतु बिहार ई.सी.जी. टेक्नीशियन संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2019 के गठन की स्वीकृति के संबंध में। — **10.** स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

11. स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत बिहार एक्स–रे टेक्नीशियन संवर्ग के मूलकोटि एवं प्रोन्नति के पदों पर नियुक्ति एवं उनकी सेवा शर्त्तों के निर्धारण हेतु बिहार एक्स–रे टेक्नीशियन संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2019 के गठन की स्वीकृति के संबंध में। — **11.** स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

12. बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 (बिहार अधिनियम–04–2011) के तहत निर्गत अधिसूचना सं०–1423 दिनांक–19.05.2011 (समय–समय पर यथा संशोधित) द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट–1 के क्रमांक–6 में परिवहन विभाग के अधीन पूर्व से अधिसूचित सेवाओं के समय–सीमा को कम करने एवं उक्त अधिसूचना के क्रमांक 30, 31 एवं 32 में परिवहन विभाग एवं नगर विकास एवं आवास विभाग की सेवाओं को नई सेवा के रूप में समावेशित करने के संबंध में। — **12.** स्वीकृत।

पंचायती राज विभाग

13. बिहार पंचायत सेवा के पुनर्गठन एवं प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी के विभिन्न पद सोपान के पूर्व से सृजित पदों के अतिरिक्त 303 (तीन सौ तीन) पदों के सृजन (प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी–188, ब्याख्याता, मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान/जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान –58, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् –38 एवं प्राचार्य तथा सहायक निदेशक, मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान/जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान/राज्य स्तरीय शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान–19) के संबंध में। — **13.** स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

14. पटना मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम चरण में दो कोरिडोर का कार्यान्वयन दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (DMRC) से Deposit Work Method पर स्वीकृत Project Cost के अंतर्गत कुल भुगतेय राशि ₹482.87 करोड़ (चार सौ बेरासी करोड़ सतासी लाख रू०) की लागत पर Nomination Basis पर कार्य आवंटन करने के प्रस्ताव की प्रशासनिक स्वीकृति। — **14.** स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

15.	किडनी ट्रान्सप्लान्ट का कार्य प्रारम्भ करने हेतु पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना के ट्रान्सप्लान्ट विभाग एवं नेफ्रोलॉजी विभाग के लिए विभिन्न पदनामों से स्वीकृत 39 नर्सिंग पदों को प्रत्यर्पित करते हुए, ग्रेड–'ए' नर्स के 39 (उन्चालीस) पदों के सृजन की स्वीकृति।	15.	स्वीकृत।